प्रेषक,

अशोक कुमार यादव, तृतीय
अपर जनपद न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय,
बरेली।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा– श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
बरेली।

विषय– माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या–12835/IV-3771/ Admin.(A) दिनांकित 23 सितम्बर 2024, के अनुपालन में प्रार्थी द्वारा पूर्व में पुलिस विभाग की गयी सेवा को न्यायिक सेवा के साथ संयुक्त आगणन एवं पेंशनरी लाभों के लिये विहित प्रारूप के साथ प्रत्यावेदन –

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में ससम्मान निवेदन करना है कि उपर्युक्त पत्र संख्या–12835/IV-3771/ Admin.(A) दिनांकित 23 सितम्बर 2024, द्वारा राज्य के अधीन की गयी पूर्व की सेवाओं को जोड़ने हेतु विशिष्ट सूचनाओं को उल्लिखित करते हुये पुनः नवीन प्रत्यावेदन दिये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रार्थी अपर जनपद न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, बरेली (उच्चतर न्यायिक सेवा) के पद पर कार्यरत है। उक्त पद से पूर्व प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा–2006 में चयन के उपरांत जनपद हमीरपुर में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियुक्ति के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या–1408/ए.आर. (एस)/2009 दिनांकित 29.06.2009 के अनुपालन में दिनांक 15.09.2009 को अपरान्ह् में अपर सिविल जज (जू.डि.), हमीरपुर का कार्यभार ग्रहण किया एवं तब से न्यायिक सेवा में लगातार कार्यरत रहा है।

यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी न्यायिक सेवा में आने से पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1 की विज्ञाप्ति दिनांकित 31.08.2001 के अनुक्रम में आवेदन कर उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, सीधी भर्ती की परीक्षा–2001 में चयनित होकर कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या– 111 (प्रशिक्षण) , 2001 दिनांकित 18.11.2005 के अनुपालन में प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.12.2005 को बेसिक प्रशिक्षण हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में अपना योगदान दिया गया। प्रशिक्षणोंपरांत प्रार्थी की नियुक्ति जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर हुई और प्रार्थी दिनांक 14.07.2009 तक पुलिस विभाग में सेवारत रहा। प्रार्थी पुलिस विभाग की अनुमति प्राप्त कर उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा–2006 में सम्मिलित हुआ एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद के आदेश संख्या–त–221 सन् 2009 दिनांकित 13.07.2009 के द्वारा प्रार्थी को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से कार्यमुक्त किये जाने हेतु दिनांक 14.07.2009 की तिथि निर्धारित की गयी। प्रार्थी दिनांक 14.07.2009 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद के आदेश से कार्यमुक्त होकर माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या–1408/ए.आर. (एस)/2009 दिनांकित 29.06.2009 के अनुपालन में दिनांक 15.09.2009 को अपरान्ह् में अपर सिविल जज (जू.डि.), हमीरपुर का कार्यभार ग्रहण किया।

प्रार्थी द्वारा पुलिस विभाग में की गयी सेवा भी उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन स्थायी प्रकृति की सेवा रही है, जिससे नियमानुसार दिनांक 14.07.2009 को विभागीय अनुमति से कार्यमुक्त होकर दिनांक 15.07.2009 को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण किया है। यद्यपि प्रार्थी की पूर्व सेवा कार्यभार ग्रहण की तिथि पर नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित थी, परन्तु वित्त (सामान्य अनुभाग–3) द्वारा जारी **शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)2024 लखनऊ दिनांकित 28 जून, 2024, एवं शासनादेश संख्या–20/2024/सा–3–276 /दस–2024/ 301(1)2024 लखनऊ दिनांकित 11 जुलाई, 2024,** के क्रम में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सादर निवेदन है कि राज्य सरकार के अधीन प्रार्थी की प्रथम नियुक्ति उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर विज्ञापन दिनांकित 31.08.2001 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1 के आदेश संख्या–111 (प्रशिक्षण), 2001 दिनांकित 18.11. 2005 को हुई थी एवं प्रार्थी की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्ति एवं उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा–2006 में चयन होने पर उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति –नियुक्ति अनुभाग–4 संख्या–1247/2–4–09–32(1)/2008 लखनऊ दिनांक 01 अप्रैल, 2009 के द्वारा सिविल जज (जू.डि.) के पद पर हुआ। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा की गयी दोनों सेवाओं में नियुक्तिकर्ता उत्तर प्रदेश सरकार है। प्रार्थी की सेवा अवधि निर्बाधित रही है। प्रार्थी की पुलिस विभाग में की गयी सेवा की सेवापुस्तिका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद के कार्यालय में अनुरक्षित है।

यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या–10219/4–एफ–82 (पेंशन)/एडमिन (ए) दिनांकित 29 जुलाई, 2024 के क्रम में एवं उपरोक्त वर्णित शासनादेशों के अनुपालन में दिनांक 01.08.2024 को जरिये पत्र संख्या कार्यालय जनपद न्यायाधीश 1969/II दिनांकित 01.08.2024 पुरानी पेंशन योजना में शामिल किये जाने हेतु विकल्प पूर्व सेवा के विभाग (उत्तर प्रदेश पुलिस) को उचित माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है, जो प्रक्रियाधीन है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय उच्च न्यायालय को दिनांक 01.08.2024 को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

उक्त राज्य सरकार के अधीन सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये जोड़ा जाना आवश्यक है, जिसके संबंध में सुसंगत शासनादेश एवं उसमें उल्लिखित महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख निम्नवत् है–

1. **शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)2024 लखनऊ दिनांकित 28 जून, 2024,** का उल्लेख करते हुये यह अनुरोध करना है कि प्रार्थी की पूर्व में पुलिस विभाग में की गयी सेवा की विज्ञप्ति दिनांकित 31.08.2001 का होने के कारण एवं प्रार्थी द्वारा पुलिस विभाग से विभागीय अनुमति प्राप्त कर दिनांक 14.07.2009 को कार्य मुक्त होकर न्यायिक सेवा में दिनांक 15.07.2009 को कार्यभार ग्रहण करने के कारण प्रार्थी उपर्युक्त शासनादेशों से आच्छादित है।

2. **शासनादेश संख्या–20/2024/सा–3–276/दस–2024/ 301(1) 2024, लखनऊ, दिनांकित 11 जुलाई, 2024,** उपरोक्त शासनादेश दिनांकित 28 जून 2024 के क्रम में विकल्प दिये जाने हेतु प्रारूप ।

3. **कार्यालय ज्ञाप संख्या–28/30/2004–पी एण्ड पी डब्लू (बी), दिनांकित–11 जून 2020** केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन विभाग, केन्द्रीय सरकार सुसंगत है, जिसमें केन्द्र/ राज्य सरकार के कर्मियों द्वारा पुरानी पेन्शन योजना से आच्छादित होने पर विकल्प प्राप्त करने के उपरान्त प्रक्रिया एवं पूर्व सेवाओं के जोड़े जाने तथा सी०सी०एस० पेन्शन रूल्स 1972, का अभिलाभ प्राप्त होने के सम्बन्ध में उल्लेख है। शासनादेश की प्रतिलिपि समस्त राज्य सरकारों को भी प्रेषित है।

4. **शासनादेश संख्या–17/2019/सा–3–346/दस–2019–933/89, दिनांकित 30 अप्रैल, 2019** सेवानैवृत्तिक लाभों हेतु सेवाओं को जोड़े जाने संबंधी प्रस्ताव में विलम्ब के निवारणार्थ प्रारूप एवं सुसंगत शासनादेश। इस शासनादेश में वर्णित उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस के रेगुलेशन के अनुच्छेद 361 एवं 368 से प्रार्थी आच्छादित है एवं इसमें वर्णित शासनादेशों से भी प्रार्थी आच्छादित है।

5. **अधिसूचना संख्या–16–2019/सा–23–322/दस–2019–301(8/2015), दिनांकित 16 अप्रैल, 2019,** उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस नियमावली 2019 का दिनांकित 28.03.2005 के शासनादेश के निर्गत होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

6. **शासनादेश संख्या–सा–3–1118/दस–301(9)2003 टी.सी., लखनऊ, दिनांकित 16 सितम्बर, 2011, अधिसूचना संख्या–सा–3–379/दस–2005–301(9), दिनांकित 28 मार्च , 2005 द्वारा लागू** परिभाषित अंशदान योजना के संबंध में स्पष्टीकरण के पैरा–3 में यह प्रावधानित है कि केन्द्र सरकार अथवा ऐसी राज्य सरकारों जिनके कर्मचारियों की पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा नैवृत्तिक लाभों हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन की गयी अर्हकारी सेवाओं के साथ जोड़े जाने का पारस्पारिक समझौता है, के ऐसे कर्मचारी जो केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित थे तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में दिनांक 01 अप्रैल 2005 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त होते है तो वह दिनांक 01 अप्रैल 2005 के पूर्व प्रभावी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे।

7. **शासनादेश संख्या–सा–3–1071/दस–2010–301(9)2003 टी.सी., लखनऊ, दिनांकित 16 सितम्बर, 2010,** के पैरा–3 में यह प्रावधानित है कि ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने राज्य सरकार की अथवा ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति, पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, की पेंशनयुक्त सेवा में दिनांक 1 अप्रैल 2005 के पूर्व योगदान किया था तो राज्य सरकार की दिनांक 01 अप्रैल 2005 को अथवा उसे पश्चात राज्य सरकार की अथवा शासन के नियंत्रणाधीन उक्त लिखित स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ की पेंशनयुक्त सेवा में अपनी पूर्व सेवा से कार्यमुक्त होकर अथवा तकनीकी त्यागपत्र देकर नियुक्त होते है, तो वह उसी पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा, जिस पेंशन योजना से वे दिनांक 01 अप्रैल 2005 से पूर्व आच्छादित थे। इस शासनादेश के द्वारा प्रार्थी पुलिस विभाग में की गयी सेवा के आधार पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित है।

8. **अधिसूचना संख्या–सा–3–379/दस–2005–301(9)/2003, दिनांकित 28 मार्च, 2005,** में अधिसूचित किया गया है कि राज्य सरकार अपने दीर्घकालीन राजकोषी हितों और केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गयी रीति के विस्तृत अनुसरण को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, नये प्रवेशकों पर वर्तमान में परिभाषित लाभ पेंशन योजना के स्थान पर नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने के संबंध में प्रस्ताव अनुमोदित किये गये, जिससे प्रार्थी उक्त प्रस्ताव से

प्रभावित होने के कारण पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं पाया। **शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)2024 लखनऊ दिनांकित 28 जून, 2024, एवं शासनादेश संख्या–20/2024/सा–3–276/दस–2024/ 301(1)2024 लखनऊ दिनांकित 11 जुलाई, 2024,** के द्वारा यह प्रावधानित किया गया कि जिन अभ्यर्थियों का चयन दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व के विज्ञापन के अनुक्रम में हुआ है। वे अभ्यर्थी पुरानी पेंशन योजना को विकल्प के रूप में चयन कर सकते है। प्रार्थी का चयन पुलिस सेवा में 31 अगस्त, 2001 के विज्ञप्ति के अनुक्रम में हुआ है।

9. **शासनादेश संख्या–सा–3–1984/दस–2001–901–98, दिनांकित 28 दिसम्बर, 2001,** के धारा–2 में इस बात का प्रावधान है कि स्वायत्त निकाय का आशय ऐसे निकाय का है जिनका वित्त पोषण पूर्ण अथवा उसके पचास प्रतिशत से अधिक के व्यय की पूर्ति राज्य सरकारों के अनुदान से होती है। स्वायत्तशासी निकाय में राज्य सरकार के संविधिक निकाय सम्मिलित होंगे, प्ररन्तु राज्य सरकार की वित्तीय संस्थायें/बैंक शामिल नहीं होगे। इस शासनादेश की व्यवस्था के अधीन केवल उसकी सेवा को जोड़ा जायेगा जो कि सरकार/स्वायत्तशासी निकाय के संगत नियमो के अधीन पेंशन के लिये अर्हक मानी जाती है। प्रार्थी इस प्रावधान के अन्तर्गत भी पूर्व में की गयी सेवा को जोड़ने के लिये अर्हक है।

10. **शासनादेश संख्या–सा–3–728/दस–98–901–98, दिनांकित 10 जुलाई , 1998 के पैराग्राफ–2** राज्य सरकारों के अर्न्तगत राज्य सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार के उपक्रम/निगम में स्थानान्तरण/सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के आधार पर जाता है या राज्य सरकार में आता है, जहां राज्य सरकार के उपक्रम में पेन्शन की सुविधा है, तो यदि दोनों ही पद पेन्शनेबल हों तो उसके द्वारा पदों पर की गयी अर्ह सेवा पर सेवा नैवृतिक लाभ अनुमन्य होगें और दोनों अवधियों को जोड़कर सेवा नैवृतिक लाभों का भुगतान उसी संस्थान सरकार द्वारा किया जायेगा जहां से वह अन्तिम रूप से सेवानिवृत्त हो रहा है ।

11. प्रार्थी द्वारा पुलिस विभाग में की गयी सेवा, अर्हकारी सेवा के संबंध में उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेगुलेशंस के अनुच्छेद 361 में वर्णित अर्हकारी सेवा की तीनों शर्तों एवं अनुच्छेद 368 में वर्णित अर्हकारी सेवा हेतु मौलिक नियुक्ति की अनिवार्यता से सम्बंधित उपबंध की दृष्टि से प्रार्थी अर्हक है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के रूप में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा में जोड़ने तथा उसका लाभ प्रदान किये जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु यह प्रत्यावेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

दिनांक 27.09.2024

(अशोक कुमार यादव तृतीय)
आई0डी0–यू0पी0–1747
अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय,
बरेली।

संलग्नक–

1. पूर्व सेवा के संबंध संलग्न प्रारूप में समेकित विवरण,
2. पुलिस विभाग की विज्ञाप्ति दिनांकित 31.08.2001,
3. पुलिस मुख्यालय से जारी नियुक्ति पत्र दिनांकित 18.11.2005,
4. पुलिस विभाग से कार्यमुक्त करने संबंधी आदेश दिनांकित 13.07.2009,
5. न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र दिनांकित 15.07.2009,
6. माननीय उच्च न्यायालय को सेवा जोड़ने सम्बंधी प्रेषित पत्र दिनांकित 25.11.2021 की प्रति,
7. सुसंगत शासनादेश यथा उपरोक्त,

Consolidated Details with respect to counting to previous service:-

Name of the Officer	Ashok Kumar Yadav III
Designation in U.P.Nyayik Sewa/U.P.H.J.S.	Additional District Judge(FTC) Bareilly
Date of Joining in U.P.Nyayik Sewa/U.P.H.J.S.	**15-07-2009** (U.P.Nyayik Sewa)
Appointing Authority	Governor/Government of U.P.
Date of retirement on superannuation	30-09-2031
Details of previous service	
Designation/Post held in previous service	Sub-Inspector Civil Police
Department/Office under which previous service was rendered	Department of Uttar Pradesh Police
Date of joining in previous service	**01-12-2005**
Nature of employment in previous service (Temporary/Permanent)	**Permanent**
Government under which previous service was rendered (Central/State)	State Of Uttar Pradesh
Date of relieving in previous service	14-07-2009
Whether previous service rendered was under Old Pension Scheme or New Pension Scheme	New Pension Scheme (Now it is Old Pension Scheme at Choice vide G.O. No- 14/2024/sa-3-243/x-2024/301 (1)/2024 Dated 28 June, 2024.)
Mention relevant Government Order(s) vide which past service benefits is claimed as well as particular provision of the Government Orders, applicable in his/her case (annex copy of G.O.s).	1. शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)2024 लखनऊ दिनांकित 28 जून, 2024, 2. शासनादेश संख्या–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)2024 लखनऊ दिनांकित 11जुलाई, 2024, 3. कार्यालय ज्ञाप संख्या–28/30/2004–पी. एण्ड पी. डब्लू.(बी), दिनांकित 11 जून, 2020 केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग, केन्द्रीय सरकार, 4.शासनादेश संख्या–17/2019/सा–3–346/दस–2019/933/89 दिनांकित 30 अप्रैल, 2019, 5. अधिसूचना संख्या–16/2019/सा–3–322/दस–2019–301(8)2015 दिनांकित 16, अप्रैल,2019–उ.प्र. सिविल सर्विस नियमावली 2019 का दिनांकित 28. मार्च, 2005 6. शासनादेश संख्या–सा–3–1118/दस–301(9)2003 टी.सी., लखनऊ,दिनांकित 16 सितम्बर, 2011, 7. शासनादेश संख्या–सा–3–1071/दस–2010–301(9)2003 टी.सी., लखनऊ, दिनांकित 16 सितम्बर, 2010, 8. अधिसूचना संख्या–सा–3–379/दस–2005–301(9)/2003, दिनांकित 28 मार्च, 2005 9. शासनादेश संख्या–सा–3–1984/दस–2001–901–98, दिनांकित 28 दिसम्बर, 2001 10. शासनादेश संख्या–सा–3–728/दस–98–901–98, दिनांकित 10 जुलाई, 1998, 11. उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेगुलेशंस के अनुच्छेद 361 में वर्णित अर्हकारी सेवा की शर्तें एवं अनुच्छेद 368 में वर्णित अर्हकारी सेवा हेतु मौलिक नियुक्ति की अनिवार्यता के संबंधमें उपबंध ,
Remark(s), if any	Relevant facts of above G.O. s is described in fresh representation

(Ashok Kumar Yadav III)
Additional District Judge,F.T.C.,
Bareilly